राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 564/2014..जिला.......राजसमंद.............

उनवान–मैसर्स रामकृष्ण एजेन्सी, नाथद्वारा बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–राजसमंद।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.04.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, वृत्त–राजसमंद (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26 के तहत् निर्धारण वर्ष **2009–10, के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 03.12.2013** के जरिये कायम की गयी मांग राशि ₹1,44,219/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, कमशः ₹1,34,670/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु दिनांक **24.04.2014** को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन, संदर्भित अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 व दिनांक 09.03.2010 के अध्ययन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता **मैसर्स परफैटी वान मेले इण्डिया प्रा.लि. द्वारा 12.5/14 प्रतिशत की दर से सृजित मांग राशि राजकोष में जमा करवायी गयी है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मैसर्स परफैटी वानमेले प्रा.लि., अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 26.07.2011 व मैसर्स बंशीलाल छोटमल एण्ड ब्रदर्स, बांसवाड़ा बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा के प्रकरणों अपील संख्या 1466 से 1469/2013/उदयपुर में ही कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2013** में समान बिन्दुओं पर रोक आदेश पारित किया गया है। लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार कर, बकाया मांग राशि **₹1,34,670/–** की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक इस शर्त के साथ लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । निर्णय सुनाया गया । 25-4-14 **(अमर सिंह)** **सदस्य** 25.4.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य**	